>

Title: Need to provide adequate medical assistance to all the people seeking help for medical treatment from Prime Minister's National Relief Fund.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं सरकार का ध्यान गंभीर एवं चिंताजनक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में प्रधान मंत्री राहत कोष जो देश में गरीब परिवारों के रोगियों के इलाज के लिए एक वरदान है एवं जो माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन कई बार हम लोगों को इस विषय पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे हमारे चुनाव क्षेत्र से गंभीर रोगों से पीड़ित जैसे दिल की सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर जैसे गंभीर और महंगे इलाज के लिए लोग आर्थिक सहायता का निवेदन करते हैं और इस पर हम लोग माननीय प्रधान मंत्री जी को उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए निवेदन करते रहते हैं और इससे कुछ लोगों को कुछ प्रमाण में आर्थिक सहायता मिलती भी है लेकिन कई लोगों के निवेदनों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 लाख मतदाता रहते हैं और हमें हर रोज गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के निवेदन मिलते हैं। हम लोग उन निवेदनों को उसी समय माननीय प्रधान मंत्री जी को सिफारिश करते हैं लेकिन प्रत्येक संसद सदस्य को एक महीने में दो या तीन सिफारिशों को मंजूर किया जाता है। वह भी लॉटरी सिस्टम से यह एक महीने में केवल दो या तीन सिफारिशों को ही मंजूर करने से बाकी के सभी पीड़ित परिवारों के भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमारे पास वही लोग आते हैं कि जिन्हें आर्थिक सहायता के लिए उसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं रहता है और इसमें भी हम लोगों ने उनके साथ भेदभाव कर दिया तो यह लोग कहां जाएंगे और एक विषय यह भी है कि आजकल के दिनों में इलाज का खर्च कितने प्रमाण में बढ़ा हुआ है। एक-एक ऑपरेशन या सर्जरी के लिए 5 से 7 लाख तक खर्च आ रहा है। लेकिन इन लोगों को आर्थिक सहायता के नाम पर 25 से 50 या 70 हजार रूपये तक ही आर्थिक सहायता मंजूर होती है। इससे उन्हें अपना इलाज कराने में बहुत दिक्कतें होती हैं और उनके इलाज के लिए आर्थिक सहायता पूरी नहीं मिलने के कारण उनका इलाज अधूरा रह जाता है और इससे कई मरीजों की मृत्यु तक हो रही है।

अतः मैं सरकार से और माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जितने भी निवेदन माननीय संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल से उसके खर्च का विवरण आता है तो उसे उनके इलाज का पूरा खर्च प्रधान मंत्री राहत कोष से तत्काल देने का प्रावधान किया जाए या जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है उसे हॉस्पिटल को निर्देश दिया जाए कि इस रोगी का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाए।